हरियाणा सरकार,

खाद्य एवं पूर्ति विभाग
(विधिक माप विज्ञान संगठन)

अधिसूचना

दिनांक 5 अप्रैल, 2001

संख्या सा0का0नि0 11/संवि0/अनु0 309/2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2001, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ग) "नियन्त्रक" से अभिप्राय है, नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है, —

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विधिक माप विज्ञान संगठन) उप कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा।

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे तथा सेवा के सदस्य, उनके सामने वर्णित वेतनमान में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो। **आयु।**

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति नियन्त्रक द्वारा की जायेगी। **नियुक्ति प्राधिकारी।**

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएँ तथा अनुभव न रखता हो : **योग्यताएँ।**

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,— **अयोग्यताएं।**

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :— **भर्ती का ढंग।**

(क) उप-अधीक्षक की दशा में,—

(i) विधिक माप विज्ञान संगठन के सहायक एवं लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) सहायक एवं लेखाकार की दशा में,—

(i) विधिक माप विज्ञान संगठन के लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) निरीक्षक विधिक माप विज्ञान की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत हस्त सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) साज-सामान मुरम्मतकर्ता की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) आशु टंकक की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) लिपिकों की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत विधिक माप विज्ञान संगठन में कार्यरत दफ्तरी/सेवादारों/चौकीदारों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) हस्त सहायकों की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत विधिक माप विज्ञान संगठन के दफ्तरी/सेवादारों/चौकीदारों में से पदोन्नति द्वारा; और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सेवा में जब कभी कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसी रिक्ति का निर्धारण करेगा जिससे रिक्ति भरी जायेगी।

(3) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सभी पदोन्नतियाँ एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया, हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :—

परन्तु, —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन, विहित परिवीक्षा अवधि में गिनने दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह, —

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिए हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को, सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के पास है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेन्शन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिसका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई या उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष अथवा साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करें, टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ। 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति। 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध। 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें, लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण। 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति। 20. सेवा को लागू कोई नियम या इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

क्रम संख्या
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

परीशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	उप-अधीक्षक	1	-	1	5500-175-8300-द0रो0-175-9000 रुपये
2.	सहायक एवं लेखाकार	1	-	1	5000-150-7100-द0रो0-150-7850 रुपये
3.	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	16	9	25	5000-150-7100-द0रो0-150-7850 रुपये
4.	साजसामान मुरम्मतकर्ता	1	-	1	5000-150-7100-द0रो0-150-7850 रुपये
5.	आशुटंकक	1	-	1	3050-75-3950-द0रो0-80-4590 जमा 100/- विशेष वेतन
6.	लिपिक	6	-	6	3050-75-3950-द0रो0-80-4590 रुपये
7.	हस्त सहायक	19	7	26	3050-75-3950-द0रो0-80-4350 रुपये

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	उप अधीक्षक	----	*पदोन्नति द्वारा—* विधिक माप विज्ञान संगठन में सहायक एवं लेखाकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव; *स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—* (i) सहायक एवं लेखाकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	सहायक एवं लेखाकार	—	*पदोन्नति द्वारा—* विधिक माप विज्ञान संगठन में लिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; *स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—* (i) लिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
3.	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (विज्ञान एक विषय के रूप में भौतिकी सहित) प्रोद्यौगिकी या इंजीनियरी में स्नातक या इंजीनियरी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो; और (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, पद पर इसकी पुष्टि के लिये विचार करने से पहले बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 76 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान से बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।	*पदोन्नति द्वारा—* (i) हस्त सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (विज्ञान एक विषय के रूप में भौतिकी सहित) प्रोद्यौगिकी या इंजीनियरी में स्नातक या इंजीनियरी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो; और (iii) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, पद पर इसकी पुष्टि के लिये विचार करने से पहले बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 76 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान से बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। (iv) हरियाणा बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1995 के नियम 20 के उप नियम (1) की कोई भी

1	2	3	4
			बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हैं;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
			(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (विज्ञान एक विषय के रूप में भौतिकी सहित) प्रोद्यौगिकी या इंजीनियरी में स्नातक या इंजीनियरी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो; और
			(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
			(iii) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, पद पर इसकी पुष्टि केलिए विचार करने से पहले बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 76 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान से बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
4.	साजसामान मुरम्मतकर्ता	(i) मकैनीकल इंजीनियरी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी सहित स्नातक;	(i) मकैनीकल इंजीनियरी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी सहित स्नातक;
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
5.	आशुटंकक	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष;	*पदोन्नति द्वारा—*
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;	(i) विधिक माप विज्ञान संगठन में लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; और
		(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।	(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन।

1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को, पद पर इसकी पुष्टि के लिये विचार करने से पहले बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 76 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान से बुनियादि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।
6.	लिपिक	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में विभागीय टाईप टैस्ट पास करना होगा। उसे केवल उपरोक्त टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	*पदोन्नति द्वारा—* (i) मैट्रिक हिन्दी के साथ या समकक्ष; (ii) दफ्तरी/सेवादार/चौकीदार या ऐसे संयुक्त अनुभव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव; *स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—* (i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी या अंग्रेजी में विभागीय टाईप टैस्ट पास करना होगा। उन्हें केवल टाईप टैस्ट पास करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।
7.	हस्त सहायक	(i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) बाट तथा माप में अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	*पदोन्नति द्वारा—* (i) हिन्दी के साथ मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) दफ्तरी/सेवादार/चौकीदार या ऐसे संयुक्त अनुभव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव; *स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—* (i) मैट्रिक या इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) बाट तथा माप में अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्र0 संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
			1. छोटी शास्तियां			
1.	उप-अधीक्षक	नियन्त्रक	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी;	नियन्त्रक	सरकार	—
2.	सहायक एवं लेखाकार		(ii) परिनिन्दा;			
3.	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान		(iii) पदोन्नति रोकना;			
4.	साजसामान मुरम्मतकर्ता		(iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि या उसके भाग की वेतन से वसूली; और			
5.	आशुटंकक					
6.	लिपिक					
7.	हस्त सहायक					
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;			
			2. बड़ी शास्तियां			
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;			
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन			

1	2	3	4	5	6	7
			वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगी;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति;			
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन से लिए निरर्हता नहीं होगी;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्र0 सं0	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	उप-अधीक्षक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	नियंत्रक	सरकार	—
2.	सहायक एवं लेखाकार				
3.	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान				
4.	साजसामान मुरम्मतकर्ता	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
5.	आशुटंकक				
6.	लिपिक				
7.	हस्त सहायक				

धर्मवीर

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग, चण्डीगढ़।